

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-8)

(दूरभाष 0141-2227229, Email Id : pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक प. 1(124) ग्रा.वि./अनु.-8/नीति आयोग/2017

जयपुर, दिनांक: 11 OCT 2019

आदेश

राजस्थान राज्य के पांच जिले बारों, करौली, जैसलमेर, धौलपुर एवं सिरौही नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा आशान्वित जिले के रूप में चयनित हैं। इन जिलों के सतत विकास हेतु पांच गतिविधियां 1. स्वास्थ्य एवं पोषण, 2. शिक्षा, 3. कृषि एवं जल संरक्षण, 4. वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास 5. आधारभूत ढांचा (सड़क, पीने योग्य पानी, आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, स्वच्छता तथा ग्रामीण विकास) इन जिलों में संचालित की जानी हैं। इन गतिविधियों के संबंधित विभागों के ब्लॉक एवं जिला स्तरीय अधिकारी/कार्मिक के अधिकतर पद रिक्त होने के कारण सतत विकास के लक्ष्य को अर्जित करने में हो रही कठिनाईयों के निकारण हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं—

1. आशान्वित जिलों में अधिकारी/कार्मिकों के समस्त रिक्त पदों पर प्राथमिकता से पदस्थापन किया जावे।
2. आशान्वित जिलों से अधिकारी/कार्मिक के स्थानान्तरण की स्थिति में नवीन अधिकारी/कार्मिक का आवश्यक रूप से पदस्थापन किया जावे।
3. आशान्वित जिले से अधिकारी/कार्मिक के स्थानान्तरण होने पर जब तक नवीन अधिकारी/कार्मिक का पदस्थापन नहीं होता तब तक स्थानान्तरित अधिकारी/कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं किया जावे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

www.rajteachers.com



(डी.बी.गुप्ता)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार (वित्त, कार्मिक, सूचना एवं संचार एवं आयोजना)।
3. विशिष्ट सहायक, मा. उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. विशिष्ट सहायक, मा. उप मुख्यमंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
5. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।
6. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, ऊर्जा विभाग।
7. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग।
8. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, कृषि, पशुपालन विभाग।
9. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।

10. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, सिंचित क्षेत्र विकास।
11. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग।
12. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग।
13. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग।
14. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग।
15. विशिष्ट सहायक, मा. राज्य मंत्री, कौशल विकास एवं नियोजन विभाग।
16. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
17. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
18. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
19. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
20. प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
21. प्रमुख शासन सचिव, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।
22. प्रमुख शासन सचिव, आयुक्त कृषि उत्पादन, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग।
23. निदेशक, एच.सी.एम.रीपा (राज्य प्रभारी अधिकारी करौली)।
24. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग।
25. शासन सचिव, जल संसाधन विभाग।
26. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
27. शासन सचिव, श्रम रोजगार एवं कौशल विकास विभाग।
28. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं राज्य प्रभारी जैसलमेर)।
29. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (राज्य प्रभारी धौलपुर)।
30. शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं राज्य प्रभारी अधिकारी सिरौही।
31. शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग (राज्य प्रभारी बारां)।
32. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
33. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
34. जिला कलेक्टर, (बारां, धौलपुर, सिरौही, करौली, जैसलमेर)।

www.rajteachers.com


 अतिरिक्त मुख्य सचिव
 एवं राज्य नोडल अधिकारी